2015 अति.जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करतारसिंह पूनियॉ, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 61/15

1. रामस्वरूप
2. श्री भगवान
3. सन्तलाल
4. इन्द्रकुमार

पिसरान चुनी लाल अकवाम सुथार सकनाए 2 सी छोटी तहसील व जिला श्री गंगानगर।
अपीलांटस

बनाम

1. भूपेन्द्रसिंह पुत्र श्री मेजरसिंह जाति जटसिख साकिन 2 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, राजस्व, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश तहसीलदार, श्री गंगानगर दिनांक 07–09–15

उपस्थित :
1. श्री ओमप्रकाश बतरा, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2. श्री दलबारासिंह बराड़, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
3. श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता., रेस्पो0 स0 2

आदेश

दिनांक : 28-4-2017

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट के पिता चुनी राम के नाम चक 2 सी छोटी तहसील श्री गंगानगर का मुरब्बा नं0 18 में 25 बीघा रकबा खातेदारी थी। अपीलांट के पिता के मरने के बाद माता हरकौरी के नाम 0.557 है0 हिस्सा आया। चुन्नीराम के लड़के अपीलांट तथा अपीलांट की लड़कियां मुन्नीदेवी, रामनारायणी, लिछमा, रामेती देवी हैं। अपीलांट की माता 102 वर्ष की थी। पहले माता अपीलांट के पास रहती थी फिर अपीलांट का भाई कृष्ण लाल उसे अपने साथ ले गया और धोखे से दस्तावेज बनवा कर इंतकाल करवा लिया, जिसके खिलाफ अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय में अपील पेश की। अपील दिनांक 30–6–15 को स्वीकार की जाकर, प्रकरण तहसीलदार, श्री गंगानगर को रिमाण्ड कर दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ रेस्पो0 ने मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में अपील दायर कर दी, जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। मामला अब भी मा0 संभागीय आयुक्त, बीकानेर के न्यायालय में विचाराधीन है। एक वाद पत्र उपजिलाधीश, श्री गंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है तथा स्थगन आदेश जारी किया हुआ है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिवत् सुनवाई किये, बिना साक्ष्य लिये रेस्पो0 सं0 1 के नाम से अपीलाधीन इंतकाल दर्ज कर दिया है। अपीलांट की माता द्वारा कोई रकबा बेचान नहीं किया गया है, वह न तो

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

चल सकती थी और न ही बोल सकती थी एवं न ही उसने कोई राशि प्राप्त की है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित स्थगन आदेश को बिना ध्यान में रखते हुए अपीलकृत इंतकाल पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

अपील से संबंधित मूल रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि विवादित कृषि भूमि से संबंधित प्रकरण मा० संभागीय आयुक्त, बीकानेर एवं उपजिलाधीश, श्री गंगानगर के न्यायालयों में वाद विचाराधीन है। स्थगन आदेश के बावजूद बिना विधिवत् सुनवाई किये, बिना साक्ष्य लिये, अपीलकृत इंतकाल पारित किया गया है। अपीलांट की माता 102 वर्ष की वृद्ध महिला थी, जो न चल सकती थी और न ही बोल सकती थी। उसके द्वारा न ही कोई राशि प्राप्त की गई है और न ही कोई रकबा का बेचान किया गया है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलकृत इंतकाल निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पो० के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनी प्रावधानों की पालना करते हुए, पंजीबद्व दस्तावेज के आधार पर अपीलकृत इंतकाल पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत इंतकाल पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश दिनांक 7–9–15 के द्वारा रजि० बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं। अभिलेख पर ऐसी कोई सारवान दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आई है, जिससे यह साबित होता हो कि रजिस्टर्ड बैयनामा को कैन्सिल करवाने के लिए कोई वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन हो। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित थे। दोनों पक्षों को सुनकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलकृत आदेश पारित किया गया है। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने के आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांटस अस्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति रेकार्ड के साथ अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 28–4–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/4/17

(करतारसिंह पूनियां)
अति० जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner